पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़

सी.यू.जी. – 9454400250, दूरभाष- 05462-260403, ई-मेल- spazh-up@nic.in

संख्या- 116/2024 दिनांक- 08.04.2024

प्रेस-विज्ञप्ति

थाना – अहरौला

01 कुन्तल 34 किलो 900 ग्राम गांजा (कीमत लगभग 13 लाख 70 हजार रूपये) व 01 ट्रक के साथ एक गांजा तस्कर गिरफ्तार

गिरफ्तारी का विवरण-

आज दिनांक 08.04.2024 को थानाध्यक्ष सुनील कुमार दूबे मय हमराह व स्वाट टीम द्वितीय के प्रभारी उ0नि0 श्रीप्रकाश शुक्ला मय हमराह द्वारा मुखबीर की सूचना के आधार पर ग्राम अहरौला बाइपास तमसा नदी पुलिया से अभियुक्त दिनेश चन्द्र पुत्र मनीराम सिंह उम्र करीब 32 वर्ष निवासी शाहआलमपुर थाना मलावन जनपद एटा को 10 गत्ते मे कुल माल 1 कुन्तल 34 किलो 900 ग्राम गांजा नाजायज व एक मोबाइल व 1000 रुपया तथा एक ट्रक NL01AB8545 के साथ समय सुबह 08.40 बजे पुलिस हिरासत में लिया गया। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 146/24 धारा 8/20 NDPS एक्ट पंजीकृत कर गिरफ्तार अभियुक्त का चालान मा0 न्यायालय किया गया।

पूछताछ का विवरण-

गिरफ्तार अभियुक्त ने बताया गया कि साहब ट्रक सं0 NL01AB8545 को वरुना कम्पनी से माल लोड करके लेकर आ रहा था कि अपने साथी उमेश के साथ रास्ते में ही गाडी के केबिन में अबैध गांजा लोड कर लिया गया जिसे बेचने के लिए जा रहा था तभी आप लोगो द्वारा पकड़ लिया गया तथा मेरा साथी उमेश मौके से भाग गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता –

1. दिनेश चन्द्र पुत्र मनीराम सिंह उम्र करीब 32 वर्ष निवासी शाहआलमपुर थाना मलावन जनपद एटा

बरामदगी–

1- 10 पैकेट मे कुल 1 कुन्तल 34 किलो 900 ग्राम गांजा नाजायज
2- 1000 रूपया व 1 मोबाइल व सीज शुदा एक ट्रक

पंजीकृत अभियोग- मु0अ0सं0 146/24 धारा 8/20 NDPS एक्ट थाना अहरौला आजमगढ़।

आपराधिक इतिहास – मुकदमा उपरोक्त

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. थानाध्यक्ष सुनील कुमार दूबे, का0 आशुतोष त्रिपाठी, का0 परीक्षीत दूबे, का0 सौरभ राय,का0 विशाल सोनकर व म0का0 अनामिका कुशवाहा चालक राजेन्द्र वर्मा थाना अहरौला आजमगढ़ ।

थाना- देवगांव

अवैध असलहा, कारतूस एवं असलहा बनाने के उपकरण (फैक्ट्री) के साथ 01 अभियुक्त गिरफ्तार

गिरफ्तारी का विवरण- दिनांक 08.04.2024 को प्र0नि0 विनय कुमार मिश्र मय हमराह को सूचना मिली कि ग्राम शेखपुर बछौली स्थित सड़क के किनारे कुछ दूरी पर पप्पू बरनवाल का अर्धनिर्मित मकान के पीछे एक व्यक्ति अवैध शस्त्र बना रहा है उनके पास बने बनाये कुछ असलहे भी है जिनका खरीद फरोख्त कर धनार्जन करता है। इस सूचना पर तत्काल पुलिस बल द्वारा मौके पर पहुँचकर उक्त व्यक्ति को पकड़ लिया गया। पकड़े गये व्यक्ति ने अपना नाम योगेन्द्र उर्फ जोगी पुत्र स्व0 गिरधारी राम उम्र 33 वर्ष निवासी रतौरी थाना मेहनाजपुर जनपद आजमगढ़ बताया। उसके कब्जे से एक तमन्चा .315 बोर, एक जिंदा कारतूस .315 बोर , एक जिंदा कारतूस 12 बोर बरामद हुआ। पकड़े गये व्यक्ति से कड़ाई से पूछताछ करने पर बताया कि मै तमंचे बनाने का कार्य कर रहा था कि आप लोग आ गये कि आप लोगो को पास आते अचानक देखकर पकड़े जाने की डर से भागना चाहा कि पकड़ लिया गया। मौके पर अर्धनिर्मित तमंचा 315 बोर, अर्धिनिर्मित तमन्चा 12 बोर, 01 हथौड़ी लोहे की एक , छेनी भिन्न- भिन्न प्रकार 4 , वर्मा 1 , सूमी 1 , पेचकश 1 , चिमटी 1 , पिलास 1 , लोहे के विभिन्न साइज के पाइप 4 , इलेक्ट्रिक ड्रिल मशीन 01 , रेती 01 , हेक्सा ब्लेड 01 , स्प्रींग छोटी 03, बड़ी 03, लोहे की बाडी तमन्चा 02 , ट्रिगर 03 , कागज का 02 कट्टे (तमन्चा) का नमूना, पेन्ट, वर्निश छोटी डिब्बी 01 , लोहे की प्लेट 02 , गलेण्डर ब्लेड छोटा बड़ा 07 , लोहे का फार्मा 01 , साँचा अर्धनिर्मित लकड़ी बरामद हुआ। पकड़े गये व्यक्ति को उसके अपराध अन्तर्गत धारा 3/5/25 आयुध अधिनियम का दण्डनीय अपराध बताकर समय समय 05.00 बजे हिरासत पुलिस में लिया गया। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 130/2024 धारा 3/5/25 शस्त्र अधिनियम कर गिरफ्तार अभियुक्त का चालान मा0 न्यायालय किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तः- योगेन्द्र उर्फ जोगी पुत्र स्व0 गिरधारी राम निवासी रतौरी थाना मेहनाजपुर जनपद आजमगढ़ उम्र 33 वर्ष

बरामदगी का विवरण- 01 तमन्चा 315 बोर व 3 अर्ध निर्मित तमन्चा 315 व 12 बोर व 01 जिंदा कारतूस व 01 जिंदा कारतूस 12 बोर, 01 हथौड़ी लोहे की एक , छेनी भिन्न- भिन्न प्रकार 4 , वर्मा 1 , सूमी 1 , पेचकश 1 , चिमटी 1 , पिलास 1 , लोहे के विभिन्न साइज के पाइप 4 , इलेक्ट्रिक ड्रिल मशीन 01 , रेती 01 , हेक्सा ब्लेड 01 , स्प्रींग छोटी 03, बड़ी 03, लोहे की बाडी तमन्चा 02 , ट्रिगर 03 , कागज का 02 कट्टे (तमन्चा) का नमूना, पेन्ट, वर्निश छोटी डिब्बी 01 , लोहे की प्लेट 02 , गलेण्डर ब्लेड छोटा बड़ा 07 , लोहे का फार्मा 01 , साँचा अर्धनिर्मित लकड़ी

पंजीकृत अभियोग का विवरण- मु0अ0सं0 130/2024 धारा 3/5/25 शस्त्र अधिनियम थाना देवगाव जनपद आजमगढ

आपराधिक इतिहास- मुकदमा उपरोक्त

गिरफ्तारी/बरामदगी करने वाली टीम-

1. प्र0नि0 विनय कुमार मिश्र थाना देवगांव आजमगढ़
2. उ0नि0 इल्ताफ खाँ थाना देवगांव आजमगढ़
3. हे0का0 ओमप्रकाश सिंह थाना देवगांव आजमगढ़
4. हे0का0 संजय कुमार दूबे थाना देवगांव आजमगढ़
5. का0 ऋषभ शुक्ला थाना देवगांव आजमगढ़
6. का0 शिवम तिवारी थाना देवगांव आजमगढ़
7. म0का0 सोनी चौरसिया थाना देवगांव आजमगढ़

थाना- बरदह

अवैध तमन्चा के साथ एक अभियुक्त गिरफ्तार

गिरफ्तारी का विवरण- दिनांक 07.04.24 को उ0नि0 श्री सौरभ त्रिपाठी थाना बरदह जनपद आजमगढ़ द्वारा चेकिंग के दौरान अभियुक्त अमन राय पुत्र कृष्णमोहन राय निवासी ग्राम सरायमोहन, थाना बरदह जनपद आजमगढ़ को एक देशी तमन्चा .12 बोर व एक जिन्दा कारतूस के साथ बदनाम चाय की दुकान के पास ग्राम सराय मोहन से समय करीब 21.08 बजे गिरफ्तार किया गया । गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना बरदह पर मु0अ0सं0 112/24 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत कर गिरफ्तार अभियुक्त का चालान मा0 न्यायालय किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त - अमन राय पुत्र कृष्णमोहन राय निवासी ग्राम सरायमोहन, थाना बरदह जनपद आजमगढ़

बरामदगी का विवरण:- एक देशी तमन्चा .12 बोर व एक जिन्दा कारतूस

पंजीकृत अभियोग- मु0अ0सं0 112/24 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना बरदह, आजमगढ़

आपराधिक इतिहास- 1. मु0अ0सं0 112/24 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना बरदह, आजमगढ़

गिरफ्तारी करने वाली टीम –

1. उ0नि0 सौरभ त्रिपाठी थाना बरदह, आजमगढ़
2. का0 जगभान प्रसाद थाना बरदह, आजमगढ़
3. का0 पंकज यादव थाना बरदह, आजमगढ़
4. का0 सत्येन्द्र गुप्ता थाना बरदह, आजमगढ़

थाना- बिलरियागंज

जमीनी विवाद में मारपीट से ईलाज के दौरान हुई मृत्यु के मामले में एक आरोपी अभियुक्त गिरफ्तार

घटना का संक्षिप्त विवरण :- दिनांक 26.03.24 को वादी मुकदमा सूर्यकान्त शुक्ला पुत्र श्रीकान्त शुकला ग्राम बरौली दिवाकर पट्टी थाना बिलरियागंज जिला आजमगढ़ ने थाना स्थानीय पर लिखित तहरीर दिया कि विपक्षी द्वारा गाटा सं0 184 को कब्जा करने व मना करने पर वादी के पिता श्रीकान्त शुक्ला, भाई राजकुमार शुक्ला व भाभी महिमा शुक्ला को घर में घुसकर बुरी तरह से मारे पीटे जिससे वादी के पिता के सर में गम्भीर चोट लगने के कारण अचेत होकर गिर जाने व खुद को भी मारने पीटने गाली गुप्ता देने व जान से मारने की धमकी देने के सम्बन्ध में लिखित सूचना थाना कार्यालय को प्राप्त हुआ था जिसके आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 91/2024 धारा 34/302/323/452/504/506 भादवि पंजीकृत हुआ है ।

गिरफ्तारी का विवरण:- दिनांक 07.04.2024 को थानाध्यक्ष विनय कुमार सिंह मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त शिवनरायन पाण्डेय उर्फ लल्लु पुत्र स्व0 शशिधर पाण्डेय उर्फ सत्यधर पाण्डेय निवासी बरौली दिवाकरपट्टी थाना बिलरियागंज आजमगढ़ को मोलनापुर नहर पुलिया के पास से समय करीब 05.30 बजे पर हिरासत पुलिस लिया गया । अभियुक्त के निशानदेही पर घटना मे प्रयुक्त आलाकत्ल फावडा बरामद किया गया।

नोट- मु0अ0सं0 91/24 धारा 307, 34, 323, 452, 504, 506 भादवि से सम्बन्धित पीड़ित श्रीकान्त पुत्र राम विलास शुक्ला निवासी बरौली दिवाकरपट्टी थाना बिलरियागंज आजमगढ़ का दौराने इलाज पीजीआई लखनऊ में मृत्यु हो जाने पर दिनांक 06.04.2024 को धारा 307 भा0द0वि0 को धारा 302 भा0द0वि0 में तरमीम किया गया ।

पंजीकृत अभियोग-

मु0अ0सं0 91/2024 धारा 302,34,323,452,504,506 भा0द0वि0 थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़ ।

अभियुक्त का नाम व पता

1.शिवनरायन पाण्डेय उर्फ लल्लू पुत्र स्व0 शशिधर पाण्डेय उर्फ सत्यधर पाण्डेय निवासी बरौली दिवाकरपट्टी थाना बिलरियागंज आजमगढ़ उम्र 51 वर्ष ।

बरामदगी-

आलाकत्ल फावडा ।

गिरफ्तार करने वाली टीम का विवरण:-

1. थानाध्यक्ष विनय कुमार सिंह थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़ ।
2. प्रशिक्षु उ0नि0 अक्षय दीप सिंह थाना बिलरियागंज जनपद आझमगढ़ ।
3. हे0का0 रामनिवास यादव थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़ ।
4. का0 महेन्द्र मौर्य थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़ ।
5. म0का0 प्रेमलता पाण्डेय थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़ ।

प्रेस-विज्ञप्ति

मुख्तार अंसारी के मुख्य शूटर श्याम बाबू पासी को हुई 10 साल की कठोर कारावास की सजा व 5000 रूपया जुर्माना; पूर्व में भी मजदूर हत्या काण्ड में हो चुकी है 08 वर्ष की कठोर सजा व जुर्माना।

"ऑपरेशन कनविक्शन" अभियान के तहत जनपदीय पुलिस की गुणवत्तापूर्ण विवेचना, मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन द्वारा की गयी प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मुख्तार अंसारी के मुख्य शूटर श्याम बाबू पासी पुत्र सिद्धिनरायन उर्फ प्रसिद्ध नरायन निवासी बीरपुर थाना मेंहनगर जनपद आजमगढ़ को मा0 न्यायालय द्वारा दोषी करार देते हुए 10 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा एवं अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

थाना जहानागंज: हत्या का प्रयास के मामले में मुख्तार अंसारी के मुख्य शूटर श्याम बाबू पासी को 10 वर्ष के सश्रम कारावास व 05 हजार रूपये जुर्माना

➡ दिनांक-06.08.2013 को वादी मुकदमा श्रीमती प्रेमशीला पत्नी राम प्रसाद वर्मा ने **थाना जहानागंज** पर लिखित तहरीर दी थी कि अज्ञात बदमाश द्वारा वादिनी मुकदमा के पति राम प्रसाद वर्मा से रंगदारी मांगा, परन्तु रंगदारी न देने पर जान मारने की नियत से फायर किया गया जिससे राम प्रसाद वर्मा गम्भीर रूप से घायल हो गये थे, के सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर **मु0अ0सं0- 272/2013 धारा 307/384/120बी भादवि** बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया था।

➡विवेचना के दौरान मुकदमा उपरोक्त में ***मुख्तार अंसारी के शूटर श्याम बाबू पासी पुत्र सिद्धिनरायन उर्फ प्रसिद्ध नरायन निवासी बीरपुर थाना मेंहनगर जनपद आजमगढ़ का नाम प्रकाश*** में आया था। जिसे गिरफ्तार कर जेल भेजा गया तथा मुकदमा उपरोक्त में आरोप पत्र मा0 न्यायालय में दाखिल किया गया।

➡ मुकदमा उपरोक्त में 12 गवाह परीक्षित हुए है।

➡जिसके क्रम में आज दिनांक- 08.04.2024 को मा0 न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश आजमगढ़ द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त ***श्याम बाबू पासी पुत्र सिद्धिनरायन उर्फ प्रसिद्ध नरायन निवासी बीरपुर थाना मेंहनगर जनपद आजमगढ़ को दोषसिद्ध पाते हुए अभियुक्त को 10 वर्ष के कठोर कारावास एवं 05 हजार रूपये के अर्थदण्ड*** से दण्डित किया गया है, जो जनपद बुलन्दशहर के जिला कारागार में निरूद्ध है।

➡ थाना तरवां के एराकला में सड़क निर्माण के दौरान मजदूर हत्या काण्ड में पूर्व में 06 सितम्बर 2022 को मुख्तार अंसारी के मुख्य शूटर श्याम बाबू पासी को 08 वर्ष के कठोर कारावास व 05 हजार रूपये के अर्थ दण्ड से दण्डित किया जा चुका है।

➡ मुख्तार अंसारी के शूटर श्याम बाबू पासी के विरूद्ध ***हत्या, हत्या का प्रयास, डकैती, लूट, गैंगेस्टर, रंगदारी, आदि जघन्य अपराधों में जनपद आजमगढ़ में कुल 25 अभियोग*** पंजीकृत है।